राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2824/2024 धरमा देवी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)। 4. संयुक्त निदेश्क, माध्यमिक शिक्षा विभाग, चुरू संभाग, चुरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाका मंडी, बुहाना, झुंझुंनू।	09.09.2024	30.06.2024	श्री सुधीर यादव, अभिभाषक
2.	2825/2024 रघुवीर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)। 4. संयुक्त निदेश्क, माध्यमिक शिक्षा विभाग, चुरू संभाग, चुरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाका मंडी, बुहाना, झुंझुंनू।	09.09.2024	30.06.2020	श्री सुधीर यादव, अभिभाषक
3.	**2838/2024** **रमेश चंद शर्मा**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज., अजमेर। 3. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)	**09.09.2024**	**30.06.2021**	श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 10.09.2024

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2824/2024 धरमा देवी बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2024 के लिए एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जावे एवं परिणामस्वरूप

उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद से दिनांक 30.06.2024 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो गये। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति शिक्षक के रूप में वर्ष 1987 में प्रत्यर्थी विभाग में हुई। अपीलार्थी की सेवा उसकी सेवानिवृत्ति तक सेवा संतोषजनक रही है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर आदेश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों की वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि की तिथि पहली जुलाई ही रहेगी। अपीलकर्ता दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हो गया और उस दिन उसने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली, इसलिए वह एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए जारी किए गए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के कारण, अपीलकर्ता वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके लिए वह हकदार था। पेंशन विभाग ने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलार्थी का पेंशन भुगतान आदेश जारी किया। (अनुलग्नक–1व2) वर्तमान मामले में शामिल विवाद का मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी राज्य द्वारा दायर एसएलआई को दिनांक 23.07.2018 के आदेश के तहत खारिज करके इसे बरकरार रखा गया है, जिसमें यह माना गया है कि 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के हकदार हैं। वीओआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है, लेकिन इसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। जब प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 30.08.2024 को एक नोटिस भेजा, जो उन्हें विधिवत प्राप्त हुआ, लेकिन आज तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। (अनुलग्नक–3) वर्तमान मामले में शामिल विवाद पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह के मामले में निर्णय दिया है, इसलिए अपीलकर्ता वर्ष 2024 के लिए एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के लाभ के लिए हकदार है और तदनुसार वह अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के संशोधन के लिए भी हकदार है और अपने पेंशन लाभ के संशोधन के लिए भी हकदार है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2024 के लिए एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जावे एवं परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2824/2024 धरमा देवी बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य